

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या -152/2019 (Bank Case)

एस.बी.आई. एस.ए.आर.बी. जरिये अधिकृत अधिकारी, जवाहर नगर, जयपुर,  
राज० - प्रार्थी

## बनाम

1. श्री मनोज जैन पुत्र श्री केवलचंद जैन, निवासी (ऋणी/बंधककर्ता)  
पता-फ्लेट नं० 402, तृतीय तल, नानक टावर, भीमगंजमण्डी, कोटा राज०
2. श्रीमती गरिमा जैन पत्नी श्री मनोज जैन  
पता-सुखधाम निवास, दानमल जी का अहाता, कोटा, राजस्थान  
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और  
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002


उपस्थित:-

श्री बी०पी०दाधीच, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 17.12.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि एस.बी.आई. एस.ए.आर.बी. जरिये अधिकृत अधिकारी, जवाहर नगर, जयपुर, राज० में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.04.2011, 28.07.2011, 09.09.2015, 26.04.2016 को क्रमशः रुपये 22,06,000/- (अक्षरे: रुपये बाईस लाख छः हजार मात्र), 1,03,000/- (अक्षरे: रुपये एक लाख तीन मात्र), 16,22,000/- (अक्षरे: रुपये सोलह लाख बाईस हजार मात्र), 52000/- (अक्षरे: रुपये बावन हजार मात्र) कुल 44,49,000/- (अक्षरे: रुपये चौवालिस लाख उन्नचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति कार फोर्ड फिगो आर.जे.20 सी.ई० 1063 एवं फ्लेट नं० 402, तृतीय तल, नानक टावर, न्यू पोस्ट ऑफिस रोड, थाना भीमगंजमण्डी, कोटा, राजस्थान को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 26.08.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 42,62,254 /-( अक्षरे बयांलिस लाख, बासठ हजार, दो सौ, चौवन रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.06.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक




को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 01.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता अचल सम्पत्ति कार फोर्ड फिगो आर.जे.20 सी.ई0 1063 एवं फ्लेट नं0 402, तृतीय तल, नानक टावर, न्यू पोस्ट ऑफिस रोड, थाना भीमगंजमण्डी, कोटा, राजस्थान का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।

  
(आम कसेरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा